

रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी



आरएफपी संदर्भ सं...: रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी/रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन/XXXX/2021

राष्ट्रीय आवास बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

सूचान प्रौद्योगिकी विभाग  
मुख्यलाय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003  
फोन: 011-39187000; 011-39187113; 011-39187234  
ईमेल: susanta.padhi@nhb.org.in; balaji.prabhu@nhb.org.in

रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

<b>बोली विवरण</b>		
1.	बोली दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	07-10-2021, गुरुवार
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक*	20-10-2021, बुधवार, 1500 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	01-11-2021, सोमवार, 1800 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय#	02-11-2021, मंगलवार, 1500 बजे
5.	बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुतीकरण	बाद में सूचित किया जाएगा
6.	आरएफपी की लागत	शून्य
7.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	शून्य
8.	<b>बोलियां खोलने का स्थान</b> (यदि वीसी के माध्यम से ईमेल पर बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा)	राष्ट्रीय आवास बैंक, सूचान प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्यालय कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

नोट:-

- \* कोविड के चलते, बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। इच्छुक बोलीदाता इस आरएफपी के भाग 3.1 के अनुसार ईमेल पर बोली पूर्व प्रश्न भेज सकते हैं
- # तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। बैठक लिंक रा.आ.बैंक द्वारा अग्रिम में ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा।
- किसी भी परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित कर या नामित संपर्क व्यक्ति से ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

### 1. परिचय / प्रयोजन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 2. राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (अधिनियम) के तहत की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में स्थित है एवं इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं।

### 3. बोलीदाताओं को निर्देश

#### 3.1 सामान्य

- बोलीदाता से बोली दस्तावेजों में सभी निर्देशों, रूपों, नियमों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेजों द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली खारिज हो सकती है और यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगी।

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र परामर्शदाता/ओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। आरएफपी दस्तावेज किसी भी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा नहीं होगी जो इस दस्तावेज के जारी होने या किसी बोलीदाता द्वारा की गई किसी भी जाँच या समीक्षा के परिणामस्वरूप हो सकती है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजे:

श्री एसपाढ़ी .के . महाप्रबंधक ईमेल : susanta.padhi@nhb.org.in टेलीफोन : 011-39187113; 01139187000-एक्स. 113 फैक्स : +91 - 11 - 24649432	श्री बी. प्रभु प्रबंधक ईमेल: balaji.prabhu@nhb.org.in टेलीफोन : 011-39187140; 01139187000-एक्स. 140 फैक्स : +91 - 11 - 24649432
--	--

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से कार्य दिवस (छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 10.00 से सायं 5:00 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बैंक आरएफपी बंद होने के बाद किसी भी प्रतिक्रिया को सुधारने या स्पष्ट करने हेतु अपने पूर्ण विवेक से किसी भी बोलीदाता (एक या एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ) के साथ चर्चा या बातचीत कर सकता है।
- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली बोलियां आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी तथा तत्पश्चात् न्यूनतम पात्रता मानदंड एवं तकनीकी मूल्यांकन दोनों के लिए पात्र बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु पात्र होंगी।

### 3.1 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। **सभी बोलीदाताओं के प्रश्न बोली पूर्व बैठक की तिथि से कम से कम 2 दिन पहले ईमेल द्वारा या डाक द्वारा उपरोक्त ई-मेल/पोस्टल पते पर पहुंच जाना चाहिए।** यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। केवल बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जिन्होंने आरएफपी खरीदी है, बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

[Click here to join the meeting](#)

### 3.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

### 3.3 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 3.4 गोपनीयता का विवरण

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 3.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 3.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलिदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### 3.8 बोली की भाषा

बोलिदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

### 3.9 मास्कड वाणिज्यिक बोली

बोलीदाताओं को (बैंक द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार) वास्तविक मूल्य बिड की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जो वास्तविक मूल्यों को छिपाकर बैंक को प्रस्तुत की जा रही है। यह अनिवार्य है। बिड अनहर्क ठहराई जा सकती है, यदि इसे उचित रूप से छिपा कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बिड को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि (मूल्य के अतिरिक्त) छिपाई वाणिज्यिक बिड का फॉर्मेट/विवरण प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बिड के फॉर्मेट/विवरण के साथ मेल नहीं खाता है। कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 3.10 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

### 3.11 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 3.12 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए में के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 3.13 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 170 के अनुसार, बोलीदाता को बोली प्रतिभूती यानी ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। इसके अलावा, बोली सुरक्षा के एवज में, बोलीदाताओं को यह स्वीकार करते हुए "बोली सुरक्षा घोषणा", अनुलग्नक T प्रस्तुत करना आवश्यक है कि यदि वे वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, तो उन्हें निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

### 3.14 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा जैसा कि कार्यक्षेत्र में इंगित किया गया है। परिवर्तन अवधि पूरी होने के बाद बोलीदाता सभी सेवाओं को शुरू करेगा।
- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएले के निष्पादन के बाद ही बिलिंग साइकल शुरू होगा।

### 3.15 कार्य-निष्पादन गारंटी (पीबीजी)

- चयनित बोलदाता को कार्यनिष्पादन गारंटी (अनुलग्नक 'N' में प्रारूप) के रूप में स्वामित्व (कृपया अनुलग्नक 'I' अनुबंध 'Y' की कुल लागत का संदर्भ लें) की कुल लागत के 10% की बैंक गारंटी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से देनी होगी। निष्पादन गारंटी संविदा अवधि यानी 5 वर्ष समाप्त होने के बाद कम से कम तीन माह तक वैध रहनी चाहिए। यदि अनुबंध अवधि को आरएफपी की शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाता है, तो इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने सहित आरएफपी अवधि में गैर-कार्यनिष्पादन या चूक के जोखिम के एवज में रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता होती है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, और यदि बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप चलनिधि क्षतिपूर्ति / जुर्माना लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरएफपी अवधि में गैर-कार्य निष्पादन या डिफॉल्ट के रूप में रा.आ.बैंक का निर्णय, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न करना आदि अंतिम और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

### 3.16 चलनिधि क्षति

कृपया खंड 5 का संदर्भ लें: विस्तृत सेवा स्तरीय आवश्यकता और अर्थदंड के लिए सेवा स्तरीय करार और अर्थदंड।  
नोट:

- खंड के अनुसार चलनिधि क्षति को तिमाही एएमसी भुगतान से घटा दिया जाएगा।

### 3.17 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा दी जाने वाली कीमतें और अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बोली जमा करने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में, रा.आ.बैंक वैधता की अवधि के विस्तार के लिए बोलीदाताओं की सहमति प्राप्त कर सकता है। इस तरह का कोई भी अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में दी जाएगी। प्रदत्त बोली सुरक्षा / ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

### 3.18 बोली प्रारूप तथा हस्ताक्षर

- प्रत्येक बोली को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:
- भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और मास्कड वाणिज्यिक बोली [बिना किसी कीमत के बोली] शामिल हैं। उपरोक्त सामग्री को "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- भाग II: केवल वाणिज्यिक बोली को कवर करते हुए "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में जाना जाता है

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

- मूल बोलियां तंकित की जाएंगी या अमिट स्याही से लिखी जाएंगी और बोलीदाता या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अनुलग्नक पर बोलीदाता को अधिकृत करने के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोली पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति बिना प्रिंट किए हुए साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पन्नों पर अपने अद्याक्षर करेगा।

### 3.19 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे:

महाप्रबंधक  
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

- सभी लिफाफे कवर पर संपर्क नंबर के साथ बोलीदाता का नाम और पते को इंगित करना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफे अलग से सील करेगा।
- लिफाफा नोन-विंडो होना चाहिए और **आरएफपी के खंड 6** में संकेत के अनुसार अलग से होना चाहिए।
- यदि लिफाफे को सील और चिह्नित नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक बोली के विस्थापन या समय से पहले खोलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- जिन मुहरों को ठीक से सील नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना विचार के खारिज कर दिया जाएगा।

### 3.20 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

### 3.21 विलंब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

### 3.22 रा.आ.बैंक बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलियां खोली जाएंगी जो निर्दिष्ट तिथि और समय पर बैठक में भाग लेंगे।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान: प्रधान कार्यालय, रा.आ.बैंक।
- बोलीदाता का नाम और प्रासंगिक आरएफपी लागत की उपस्थिति या अनुपस्थिति या अन्य विवरण रा.आ.बैंक अपने विवेकाधिकार पर जैसा सही समझे, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषणा करेगा।

### 3.23 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 3.24 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 3.25 प्रस्ताव का स्वामित्व

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 3.26 बोलीदाताओं को निर्देश:

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और केवल अपनी सेवा/सहायता बुनियादी ढांचे के माध्यम से रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को शामिल करेगा।

### 3.27 मूल्य संरचना एवं विचलन

- बोलीदाता को संरचना के अनुसार लागत मैट्रिक्स यदि कोई हो को पूरी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी विचलन से बोली अस्वीकृति हो सकती है। इसके अलावा वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई विकल्प नहीं उद्धृत किया जाना चाहिए। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। कंसल्टेंसी एक्सल की लागत से संबंधित कोई मूल्य भिन्नता नहीं है। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करों (वर्तमान और भविष्य) को शामिल किया जाएगा।
- केवल जीएसटी का भुगतान वैधानिक संशोधन के अनुसार वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि साइन-ऑफ की तारीख होगी। यदि लागू हो, तो उसी तारीख को समर्थन सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

### 3.28 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, मुंबई और बैंक के अन्य स्थानों पर बोलीदाता के पास उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

### 3.29 मैनुअल/डॉइंग

वेंडर संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सफ्ट तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए।

### 3.30 बोली मूल्यांकन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

### 3.31 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि किसी बोलीदाता को सफल बोली लगाने वाला होने पर बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 3.32 मूल्य का प्रकटन

किसी भी रूप में या किन्हीं कारणों से कीमतों को वाणिज्यिक बोली को छोड़कर बोली के तकनीकी या अन्य भागों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### 3.33 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस आरएफपी पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं हैं तो वे खंड अनुलग्नक-C के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

### 3.34 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 3.35 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 3.36 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### 3.37 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

### 3.38 कानूनों का अनुपालन

क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बरोबर, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख) बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

- ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 3.39 बौद्धिक संपदा अधिकार

सेवा प्रदाता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

- (क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- (ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- (ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लागत का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।
- (घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

### 3.40 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यो उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

- क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बायाना/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

### 7.39 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
- यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को अनुलग्नक XII में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

## रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ:

- i. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- ii. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- iii. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- iv. संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- v. संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- vi. साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- vii. सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा

अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

घ) एक एजेंट दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ कार्य करने में दूसरे को निर्धारित करने के लिए नियोजित व्यक्ति है।

### 4. कार्य-क्षेत्र

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 4. सेवा स्तरीय करार और अर्थदंड

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

रा.आ.बैंक में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आरएफपी

5. बोली (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली मूल्यांकन पद्धति

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

6. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:  
[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

*\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*

XXXXXXXXXXXXX